सत्यमेव जयते

# सप्तदश

# बिहार विधान सभा

## की

# निवेदन समिति

## का

# सप्तम प्रतिवेदन

सप्तदश बिहार विधान सभा के सत्र में प्राप्त **गृह विभाग** से संबंधित निवेदन संख्या 236/21 एवं 359/21 पर प्रतिवेदन ।

280622

(दिनांक .................................. ई0 को सदन में उपस्थापित) ।

## विषय-सूची


| | | | पृष्ठ |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेदन समिति के सदस्यों की सूची | .. | क |
| 2. | सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सूची | .. | ख |
| 3. | प्राक्कथन | .. | ग |
| 4. | प्रतिवेदन I | .. | 1 |
| 5 | प्रतिवेदन II | .. | 7 |
| 7. | परिशिष्ट 1-7 . | .. | 2-16 |

## बिहार विधान सभा सचिवालय

------

सप्तदश बिहार विधान सभा का वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये गठित निवेदन समिति के माननीय सदस्यों की सूची—

**सभापति**

1. श्री विनोद नारायण झा (32) स०वि०स०

**सदस्यगण**

1. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल (150) स०वि०स०
2. श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (20) स०वि०स०
3. श्री राहुल तिवारी (198) स०वि०स०
4. श्री बच्चा पाण्डेय (110) स०वि०स०
5. श्री राम विलास कामत (42) स०वि०स०
6. श्री अजय कुमार सिंह (166) स०वि०स०
7. ई० शशि भूषण सिंह (11) स०वि०स०
8. श्री छोटे लाल राय (121) स०वि०स०
9. श्री कुंदन कुमार (146) स०वि०स०
10. श्री राजीव कुमार सिंह (164) स०वि०स०
11. श्री श्रीकान्त यादव (113) स०वि०स०

# बिहार विधान सभा सचिवालय

## सभा सचिवालय के पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

| | |
|---|---|
| 1. श्री शैलेन्द्र सिंह | सचिव |
| 2. श्री पवन कुमार पाण्डेय | संयुक्त सचिव |
| 3. श्री पवन कुमार सिन्हा | उप-सचिव |
| 4. श्री (मो०) शमीम अहमद | अवर-सचिव |
| 5. श्री सुधीर कुमार सिंह | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 6. श्रीमती रूशदा रहमान | प्रशाखा पदाधिकारी |
| 7. श्रीमती प्रेरणा कुमारी | सहायक |
| 8. श्री प्रवीण कुमार | सहायक |

# प्राक्कथन

मैं सभापति, निवेदन समिति, बिहार विधान सभा की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में गृह विभाग से संबंधित 2 (दो) निवेदनों पर निवेदन समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

निवेदन के संबंध में विचार-विमर्श तथा कार्यान्वयन मुख्य समिति के द्वारा किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने में पूरी निष्ठा और समर्पण से सहयोग करने के लिये समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकरियों एवं कर्मचारियों तथा संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ ।

---

विनोद नारायण झा,<br>
सभापति,<br>
निवेदन समिति,<br>
बिहार विधान सभा, पटना ।

## प्रतिवेदन 1

### श्री विजय कुमार खेमका, स0वि0स0 से प्राप्त निवेदन संख्या 236/2021

पूर्णियाँ जिला में 120 ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें डाक विभाग द्वारा समायोजित नहीं किया गया है जिससे ग्रामीण डाक सेवक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।

अत: सरकार से उक्त डाक सेवक का समायोजन डाक विभाग में करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करने का निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट-1)

श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० से प्राप्त उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरांत प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 2694, दिनांक 18 जून, 2021 (परिशिष्ट-2) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया ।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उक्त निवेदन का ज्ञापांक 2694, दिनांक 18 जून, 2021 (परिशिष्ट-3) द्वारा गृह विभाग (विशेष शाखा) की आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थानान्तरित किया गया।

• गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक 7903, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 (परिशिष्ट-4) के द्वारा निवेदन संख्या 236/21 के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि उक्त निवेदन पर अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक 4613, दिनांक 27 जुलाई, 2021(छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सचिव, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

उक्त निवेदन का विषय डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। इस संबंध में विभागीय/राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अत: निवेदन संख्या 236/21 को लम्बित सूची से हटाने हेतु अनुरोध किया गया है।

### समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुयी। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर पत्रांक 7903, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 पर विचारोपरांत निवेदन संख्या 236/21 को विलोपित मान लिया गया ।

## परिशिष्ट 1

**श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 236/2021**

पूर्णियाँ में 120 ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने बावजूद उन्हें डाक विभाग द्वारा समायोजित नहीं किया गया है जिससे ग्रामीण डाक सेवक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।

अत: मैं सरकार से उक्त डाक सेवक का समायोजन डाक विभाग में करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करने का निवेदन करता हूँ ।

**परिशिष्ट 2**

पत्र सं० 2 नि० 236–2021 2694/ वि०स०

**बिहार विधान सभा सचिवालय**

--------

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव ।

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 18 जून, 2021 (ई०)।

विषय--सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 236/2021 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 292(घ) के अन्तर्गत श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 3

पत्र सं०—13 वि०मं०—01 / 2019—96 / सा०

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

--------

प्रेषक

योगेन्द्र ठाकुर,

अवर-सचिव ।

सेवा में

अपर मुख्य सचिव,

गृह विभाग (विशेष शाखा),

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 2 जुलाई, 2021 (ई०)।

विषय--मा० श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा का द्वितीय सत्र में प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को पारित निवेदन सं० 236/21, के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक निवेदन सं० 236/2021 बिहार विधान सभा सचिवालय के पत्रांक 2694, दिनांक 18 जून, 2021 द्वारा इस विभाग को प्राप्त है। आलोच्य निवेदन का विषयवस्तु ''पूर्णियाँ में 120 ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें डाक विभाग द्वारा समायोजन नहीं किया गया है। उक्त डाक सेवक का समायोजन डाक विभाग में करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करने से संबंधित है।'' उक्त विषय बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 के अन्तर्गत गृह विभाग को आवंटित कार्य सूची की कंडिका 21 पर अंकित 'डाक और तार, टेलीफोन और वेतार (राज्य पुलिस वेतार सहित) से संबंधित है।

अत: निवेदन की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है। इस आशय की सूचना बिहार विधान सभा सचिवालय को भी दी जा रही है।

------

विश्वासभाजन,

योगेन्द्र ठाकुर,

सरकार के अवर-सचिव।

**परिशिष्ट 4**

सं० जी/वि०स०प्र०–10–10 / 2021–7903

**बिहार सरकार**

**गृह विभाग ( विशेष शाखा )**

प्रेषक

विकास वैभव,

सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा सचिवालय,

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 (ई०)।

**विषय**--लम्बित निवेदनों के उत्तर उपलब्ध कराने के संबंध में ।

**प्रसंग**--आपका पत्र सं० 01 नि०-28/2021-4866, दिनांक 24 सितम्बर, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं० 236/2021, जिसका विषय वस्तु निम्नवत् है :--

''पूर्णियाँ जिला (बिहार) में 120 ग्रामीण डाक सेवकों को डाक विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें डाक विभाग द्वारा समायोजित नहीं किया गया हैं, जिससे ग्रामीण डाक सेवक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।''

2. उक्त निवेदन पर अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक 4613, दिनांक 27 जुलाई, 2021 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा सचिव, डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।

3. उक्त निवेदन का विषय डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित है। इस संबंध में विभागीय/राज्य सरकार के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अतः अनुरोध है कि उक्त निवेदन को लम्बित सूची से हटाने की कृपा की जाये ।

अनुलग्नक—यथा वर्णित ।

विश्वासभाजन,

विकास वैभव,

सरकार के विशेष सचिव ।

सं०-जी/वि०स०प्र०—10—10 / 2021—4613

## बिहार सरकार
## गृह विभाग ( विशेष शाखा )

--------

प्रेषक

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में

सचिव,
डाक विभाग, संचार मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक 27 जुलाई, 2021 (ई०)।

**विषय**—पूर्णियाँ जिला (बिहार) में 120 ग्रामीण डाक सेवकों को डाक विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें डाक विभाग द्वारा समायोजित नहीं किये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में श्री विजय कुमार खेमका, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निवेदन सं० 236/2021 जिसका विषय वस्तु निम्नवत् है :--

''पूर्णियाँ जिला (बिहार) में 120 ग्रामीण डाक सेवकों को डाक विभाग की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद उन्हें डाक विभाग द्वारा समायोजित नहीं किया गया हैं, जिससे ग्रामीण डाक सेवक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं।''

अतएव उक्त निवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाये। इस संदर्भ में विभागीय/राज्य सरकार के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अनुलग्नक-यथा वर्णित ।

विश्वासभाजन,

अनिमेश पाण्डेय,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

## प्रतिवेदन II

**श्री इजहारूल हुसैन, स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 359/2021**

किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पोठिया के प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र नहीं रहने के कारण आग लगने से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 कि०मी० रहने के कारण गाड़ी आने से पूरा गाँव जलकर राख हो जाता है। जिससे वहां के आमजनों को काफी जान-माल की क्षति होती है।

अतएव जनहित में उक्त प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खुलवाने हेतु सदन के माध्यम से निवेदन किया गया है। (परिशिष्ट-5)।

श्री इजहारूल हुसैन स०वि०स० के उपर्युक्त विषयक निवेदन को सदन की सहमति के उपरांत प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार, पटना को सभा सचिवालय के पत्रांक 3163, दिनांक 8 जुलाई, 2021 (परिशिष्ट-6) द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

गृह विभाग, बिहार सरकार के पटना के ज्ञापांक 5613, दिनांक 9 अगस्त, 2021 (परिशिष्ट-7) के द्वारा इस निवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस अनुपालन प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पोठिया के पोठिया थाना में इस कार्यालय के ज्ञापांक 304, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत एक अदद् मिस्ट टेक्नॉलॉजी अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दी गयी है। पोठिया प्रखंड में अग्निकाण्ड की घटना होने पर पोठिया थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन के अतिरिक्त ठाकुरगंज थाना एवं गलगलीया थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन से जिसकी दूरी पोठिया प्रखंड से लगभग क्रमशः 20 एवं 40 कि०मी० है, जिससे आवश्यकतानुसार पोठिया प्रखंड में अग्निकांड की घटना होने पर अग्निशमन का कार्य किया जाता है एवं अग्निकाण्ड की घटना में काफी हद तक जान-माल की क्षति होने से बचाई जाती है।

सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु थाना स्तर पर एक-एक अदद् अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में पोठिया प्रखंड के पोठिया थाना में एक अदद् मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्शिमन वाहन इस कार्यालय के ज्ञापांक 3046, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी गयी है। जिससे पोठिया प्रखंड स्वतः आच्छादित हो जाता है।

### समिति का निर्णय

दिनांक 27 जनवरी, 2022 को समिति की बैठक हुयी। समिति की बैठक में विभागीय उत्तर प्रतिवेदन ज्ञापांक 5613, दिनांक 09 अगस्त, 2021 के आलोक में निवेदन संख्या 359/21 को कार्यान्वित मान लिया गया ।

## परिशिष्ट 5

**श्री इजहारूल हुसैन (54), स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 359/2021**

किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पोठिया के प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र नहीं रहने के कारण आग लगने से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 कि०मी० रहने के कारण गाड़ी आने तक आग से पूरा गाँव जलकर राख हो जाता है। जिससे वहां के आमजनों को काफी जान-माल की क्षति होती है।

अतएव जनहित में उक्त प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खुलवाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

परिशिष्ट 6

पत्र सं० 2 नि० 359– 21 / वि०स०–3163

## बिहार विधान सभा सचिवालय

--------

प्रेषक

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव ।

बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में

प्रधान सचिव,

गृह विभाग,

बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक 8 जुलाई, 2021 (ई०)।

विषय--सदन में प्रस्तुत किये गये निवेदन संख्या 359/21 का उत्तर भेजने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 292(घ) के अन्तर्गत श्री इजहारूल हुसैन (54), स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत एवं सभा द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2021 को पारित निवेदन को पार पृष्ठ पर अंकित करते हुये आपसे अनुरोध करना है कि पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर वांछित उत्तर माननीय सदस्य को भेज दिया जाये तथा उसकी एक प्रति सचिव, बिहार विधान सभा को निश्चित रूप से निवेदन समिति के विचारार्थ उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाये।

-------

विश्वासभाजन,

अरविन्द कुमार मिश्र,

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

परिशिष्ट 7

पत्र सं० 6 वि०स० 01–63/2021/5613 गृ०आ०

**बिहार सरकार**

**गृह विभाग**

**(आरक्षी शाखा)**

प्रेषक

ब्रजेश कुमार सिन्हा,

उप-निदेशक ।

सेवा में

अवर-सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

पटना, दिनांक 9 अगस्त, 2021 (ई०)।

विषय-- श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत किये गये निवेदन सं० 359/21 का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 3163/वि०स०, दिनांक 8 जुलाई, 2021 के प्रसंग में कहना है कि राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक 1460, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (अनु० सहित छायाप्रति संलग्न) से प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया के पोठिया थाना में एक अद्द मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दी गयी है (छायाप्रति संलग्न)। पोठिया प्रखंड में अग्निकाण्ड की घटना होने पर पोठिया थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामन वाहन के अतिरिक्त ठाकुरगंज थाना एवं गलगलीया थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामन वाहन से जिसकी दूरी पोठिया प्रखंड से लगभग क्रमश: 20 एवं 40 कि०मी० है, आवश्यकतानुसार पोठिया प्रखंड में अग्निकांड की घटना होने पर अग्निशमन का कार्य किया जाता है एवं अग्निकाण्ड की घटना में काफी हद तक जान-माल की क्षति होने से बचाई जाती है। प्रखण्ड मुख्यालय में अग्निकाण्ड केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है, परन्तु थाना स्तर पर एक-एक अद्द अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में पोठिया प्रखण्ड के पोठिया थाना में एक अद्द मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दी गयी है, जिससे पोठिया प्रखण्ड स्वत: आच्छादित हो जाता है।

अत: अनुरोध है कि श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० द्वारा प्रस्तुत किये गये निवेदन सं० 359/21 को विलोपित करने की कृपा की जाये।

अनु-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ब्रजेश कुमार सिन्हा,

उप-निदेशक।

पत्रांक 1460

**राज्य अग्निशमन पदाधिकारी-सह-निदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना ।**

--------

प्रेषक

गौरव मंगला (भा०पु०से०),

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,

बिहार, पटना ।

सेवा में

उप-निदेशक,

गृह विभाग (आरक्षी शाखा),

बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 29 जुलाई, 2021 (ई०)।

प्रसंग— गृह विभाग (आरक्षी शाखा) का पत्र सं० 6/वि०स०-01-63/2021-4964 गृ०आ०, दिनांक 26 जुलाई, 2021 ।

विषय—श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन सं० 359/21 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि श्री इजहारूल हुसैन, माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 359/21 का उत्तर प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक—यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

गौरव मंगला,

सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी।

ज्ञापांक 3046

**कार्यालय राज्य अग्निशाम सेवा मुख्यालय, बिहार, पटना ।**

---------

सेवा में

अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी,

पटना/कंकड़बाग/पटना सिटी/दानापुर/फुलवारीशरीफ/बिहटा/बाढ़/मसौढ़ी/रजौली/डिहरी/सासाराम/बिक्रमगंज/पीरो/जगदीशपुर/आरा/भभुआ/मोहनियां/डुमराँव/बक्सर/नवादा/औरंगाबाद/दाउदनगर/जहानाबाद/अरवल/मुजफ्फरपुर/मोतीपुर/सीतामढ़ी/पुपरी/महुआ/महनार/शिवहर/छपरा/सोनपुर/मढ़ौरा/सीवान/महाराजगंज/गोपालगंज/ हथुआ/बेतिया/नरकटियागंज/बगहा/मोतिहारी/चकिया/पकड़ीदयाल/सिकरहना/अरेराज/रक्सौल/फुलपरास/बेनीपट्टी/मधुबनी/जयनगर/झंझारपुर/समस्तीपुर/रोसड़ा/पूर्णियां/बायसी/अररिया/फारबिसगंज/किशनगंज/कटिहार/त्रिवेणीगंज/वीरपुर/सुपौल/उदाकिशनगंज/मधेपुरा/भागलपुर/कहलगांव/नवगछिया/बांका/तारापुर/मुंगेर/जमुई/लखीसराय/शेखपुरा/खगड़िया/गोगरी/तेघड़ा/बरौनी/बखरी/बलिया/मंझौल/बेगूसराय/बिहारशरीफ/राजगीर/हिलसा/गया/नीमचक बथानी/शेरघाटी/टेकारी/दरभंगा/बेनीपुर/सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर ।

पटना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 (ई०)।

विषय-- बिहार अग्निशमन सेवा के राज्य योजनान्तर्गत वर्ष (2012-13) की 48 अदद् एवं वर्ष (2013-14) का 220 अदद् अर्थात् कुल 268 अदद् 01 टन क्षमता के वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहनों का जिलावार अग्निशमन केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले 268 पुलिस थानों में आवंटन के संबंध में ।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अग्निशमन सेवा के राज्य योजनान्तर्गत वर्ष (2012-13) की 48 अदद् एवं वर्ष (2013-14) का 220 अदद् अर्थात कुल 268 अदद् 01टन क्षमता के वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहनों का जिलावार अग्निशमन केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले 268 पुलिस थानों में आवंटन निम्न रूप से किया जाता है :--

| क्र.सं. | जिला का नाम | क्र.सं. | फायर स्टेशन का नाम । | क्र.सं. | थाना का नाम | आवंटित वाहन की संख्या। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पटना | 01 | पटना | 1 | बुद्धा कॉलोनी | एक अदद् वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी (Fabricated on Mahindra Genio DC 2WD BSIV 1 ton cap.) | |
| | | | | 2 | दीघा | तथैव | |
| | | 02 | कंकड़बाग | 3 | गोपालपुर | तथैव | |
| | | | | 4 | अगमकुँआ | तथैव | |
| | | | | 5 | बेउर | तथैव | |
| | | 03 | पटना सिटी | 6 | खुसरूपुर | तथैव | |
| | | 04 | दानापुर | 7 | बाइपास थाना | तथैव | |
| | | | | 8 | शाहपुर | तथैव | |
| | | 05 | फुलवारीशरीफ | 9 | रूपसपुर | तथैव | |
| | | | | 10 | खगौल | तथैव | |
| | | | | 11 | जानीपुर | तथैव | |
| | | 06 | C.T.I. बिहटा | 12 | बिहटा | तथैव | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | अररिया | 196 | सिकटी | NMCH | BR38GA0317 | |
| | | 197 | पलासी | थाना में | BR38GA0318 | |
| | | 198 | सोनमनी गोदान | थाना में | BR38GA0316 | |
| 67 | फारबिसगंज | 199 | भरगवन | थाना में | BR38GA0432 | |
| | | 200 | नरपतगंज | थाना में | BR38GA0429 | |
| | | 201 | फुलकाहाँ | थाना में | BR38GA0431 | |
| | | 202 | बादुरगंज | थाना में | BR37GA3825 | |
| | | 204 | गलगलिया | थाना में | BR37GA3827 | |
| | | 205 | गरमनदगा | थाना में | BR37GA3828 | |
| | | 206 | बीबीगंज | थाना में | BR37GA3829 | |
| | | 207 | फतेहपुर | थाना में | BR37GA3823 | |
| | | 208 | जयापोखर | थाना में | BR37GA3824 | |
| 68 | कटिहार | 209 | बरारी | थाना में | BR39GA6982 | |
| | | 210 | मुफस्सिल थाना | थाना में | BR39GA6981 | |
| | | 211 | फल्का | थाना में | BR39GA6985 | |
| | | 212 | मनसाही | थाना में | BR39GA6984 | |
| | | 213 | रौटरा | थाना में | BR39GA6983 | |
| 69 | सहरसा | 214 | नौहट्टा | थाना में | BR 19N 0299 | |
| | | 215 | सोनवरसा कचहरी | थाना में | BR 19M 9998 | |
| 70 | सिमरी बख्तियारपुर | 216 | बसनाही | थाना में | BR 19M 9996 | |
| | | 217 | सलखुआ | थाना में | BR 19M 9997 | |
| 71 | सुपौल | 218 | किशुनपुर | थाना में | BR50GA0516 | |
| 72 | त्रिवेणीगंज | 219 | भीमपुर | थाना में | BR50GA1467 | |
| | | 220 | जदिया | थाना में | BR50GA1468 | |
| 73 | वीरपुर | 221 | प्रतापगंज | थाना में | BR50GA0517 | |
| | | 222 | रतनपुर | गुरू गोबिंद सिंह अस्पताल | BR50GA0518 | |
| | | 223 | करजैन | राघोपुर थाना | BR50GA0519 | |
| 74 | मधेपुरा | 224 | गमहरिया | थाना में | BR43GA2394 | |
| | | 225 | सिहेंश्वर | थाना में | BR43GA2395 | |
| 75 | उदाकिशनगंज | 226 | चौसा | थाना में | BR43GA2799 | |
| | | 227 | रतवारा | आई०जी०एम०एस० में प्रतिनियुक्त | - | |
| | | 228 | पुरैनिया | थाना में | BR43GA2798 | |
| | | 229 | आलम नगर | थाना में | BR43GA2797 | |
| 76 | भागलपुर | 230 | अकबर नगर | नाथनगर थाना में | BR10GB4328 | |
| | | 231 | इन्डस्ट्रियल थाना | थाना में | BR10GB4325 | |
| | | 232 | जगदीशपुर | अ०शा० भागलपुर | BR10GB4330 | |
| | | 233 | कजरैली | कोतवाली थाना में | BR10GB4327 | |
| | | 234 | लोदीपुर | थाना में | BR10GB4329 | |
| | | 235 | शाह कुण्ड | थाना में | BR10GB4326 | |

2. उक्त आवंटित वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशाम वाहनों को संबंधित जिला के जिला समादेष्टा-सह-जिला अग्निशाम पदाधिकारी/अग्निशामालय पदाधिकारी/प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी आवंटित वाहनों (सभी कागजात एवं एसेसरिज के साथ) को प्राप्त करने हेतु अपने चालक को केन्द्रीय भण्डार, अग्निशामालय, पटना सिटी में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

(ह०) अस्पष्ट,

उप-महानिरीक्षक-सह-उप-महासमादेष्टा,

गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ,

बिहार, पटना ।

स्थापना शाखा (अग्निशमन सेवा)

सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत प्रखण्ड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है। परन्तु थाना स्तर पर एक-एक अदद् अग्निशमन वाहन इस कार्यालय का ज्ञापांक 3046, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी गयी है। जिससे की प्रखण्ड/थाना स्वतः आच्छादित हो जाता है।

**श्री इजहारूल हुसैन ( 54 ), माननीय स०वि०स० से प्राप्त निवेदन संख्या 359/2021 का उत्तर प्रतिवेदन।**

**प्रश्न**-- किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पोठिया के प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र नहीं रहने के कारण आग लगने से जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 50 कि०मी० रहने के कारण गाड़ी आने से पूरा गाँव जलकर राख हो जाता है। जिससे वहां के आमजनों को काफी जान-माल की क्षति होती है।

अतएव जनहित में उक्त प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खोलवाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ।

**उत्तर**--वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत प्रखंड पोठिया के पोठिया थाना में इस कार्यालय के ज्ञापांक 3046, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत एक अद्द मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन उपलब्ध करा दी गयी है (छायाप्रति संलग्न)। पोठिया प्रखंड में अग्निकाण्ड की घटना होने पर पोठिया थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन के अतिरिक्त ठाकुरगंज थाना एवं गलगलीया थाना में उपलब्ध मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन वाहन से, जिसकी दूरी पोठिया प्रखंड से लगभग क्रमशः 20 एवं 40 कि०मी० है, जिससे आवश्यकता अनुसार पोठिया प्रखंड में अग्निकाण्ड की घटना होने पर अग्निशमन के कार्य किया जाता है एवं अग्निकाण्ड की घटना में काफी हद तक जान-माल की क्षति होने से बचाई जाती है।

सरकार के नीतिगत निर्णय के तहत प्रखंड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है, परन्तु थाना स्तर पर एक-एक अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने के निर्णय के क्रम में पोठिया प्रखंड के पोठिया थाना में एक अदद् मिस्ट टेक्नोलॉजी अग्निशमन, वाहन इस कार्यालय के ज्ञापांक 3046, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 के अन्तर्गत उपलब्ध करा दी गयी है, जिससे पोठिया प्रखंड स्वतः आच्छादित हो जाता है।

वि०स०मु० (एल०ए०), 99— 2022—23 डी०टी०पी०— 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2022